राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प0नि0 30–100/2024 3414
प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
कैमूर।

पटना, दिनांक– 3.9.'24

विषय :– प्रखंड कुदरा ग्राम पंचायत नेवरास के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।

प्रसंगः– पत्रांक 1271 दिनांक 08.08.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रखंड कुदरा ग्राम पंचायत नेवरास के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि –

(क) जो बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमवली 2015 के नियम 06 (I) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव बैठक संबंधी सूचना तीन दिन पूर्व दिया जाना है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व नहीं दी गई है, जो नियमाकुल नहीं है।

(ख) कार्रवाही पूर्ण नहीं है ।

(ग)बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4)(II) में प्रावधान है कि उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक में ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत मुखिया सहित कुल संख्या का बहुमत के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है। जबकि प्रखंड कुदरा ग्राम पंचायत नेवरास के उप मुखिया के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बहुमत के आधार पर पारित नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रखंड कुदरा ग्राम पंचायत नेवरास के उप मुखिया **के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एंव अहस्तक्षेप का अभिमत रखता है।**

अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन,
03/9/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

30.8.24